



P.N.S.T.-2008

प्री नर्सिंग चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये)
PRE NURSING SELECTION TEST (FOR GIRLS ONLY)

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम

● नियम पुस्तिका एवं आवेदन-पत्र का विक्रय	प्रारंभ होने की तिथि	05.06.2008
● नियम पुस्तिका एवं आवेदन-पत्र विक्रय की	अंतिम तिथि	19.06.2008
● भरे हुये आवेदन-पत्र मण्डल कार्यालय में प्राप्त होने की (डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से)	अंतिम तिथि	23.06.2008
● परीक्षा तिथि	रविवार	13.07.2008
● नियम पुस्तिका सह परीक्षा शुल्क		
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदकों हेतु		रु. 150/-
अन्य पिछड़ा वर्ग /अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु		रु. 300/-
● ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि	05.06.2008 से	23.06.2008

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462 011
फोन नं. 0755 - 2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

महत्वपूर्ण बिन्दु

- इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के कैल्कुलेटर, मोबाइल या अन्य किसी यंत्र का उपयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर फोटो अनिवार्यतः चस्पा करें, जिसे स्कैन कर उनके प्रवेश पत्र जारी होंगे। इसके अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
- सभी प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को एच.बी. पेंसिल एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट के गोलों को केवल काले स्याही वाले डॉट पेन द्वारा ही काला किया जाना होगा।
- परीक्षा के उपरान्त अभ्यर्थी को अपनी उत्तरशीट एवं प्रश्न पुस्तिका वीक्षक (Invigilator) को आवश्यक रूप से सौंपनी होगी।
- आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा। अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी नहीं दी जाये। गलत जानकारी देने एवं उसके सिद्ध होने पर होने वाली कानूनी तथा दाण्डिक कार्यवाही हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में कोई प्रयास करने पर उसे इस परीक्षा तथा मण्डल द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं के लिये भी अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
- अनुचित साधनों (UFM) के उपयोग संबंधी प्रकरणों के परिणाम घोषित नहीं किये जावेंगे।

संक्षेपाक्षर
ABBREVIATIONS

Abbreviations	Full form
MPPEB	Madhya Pradesh Professional Examination Board / म. प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
RASA	Record of Answer Sheets & attendance/उपस्थिति एवं उत्तरशीटों का रिकार्ड
OMR	Optical Mark Reader/ऑप्टिकल मार्क रीडर
P.N.S.T.	Pre Nursing Selection Test
GMC	Government Medical College/ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
CAT	Category/श्रेणी
TAC	Test Admit Card /परीक्षा प्रवेश-पत्र
UFM	Unfair Means /अनुचित साधन
UR	Unreserved/अनारक्षित
SC	Scheduled Caste/अनुसूचित जाति
ST	Scheduled Tribe/अनुसूचित जनजाति
OBC	Other Backward Classes (Excluding Creamy layer)/अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
X	Nil/ बिना संवर्ग
S/MP	Sainik/ Military Personnel/प्रतिरक्षा कर्मचारी
FF	Freedom Fighter/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
H	Handicapped/विकलांग
जि. चि.	जिला चिकित्सालय
PCBZE	Physics, Chemistry, Botany, Zoology, English
UPC	Under Postal Certificate /अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल

प्री नर्सिंग चयन परीक्षा - 2008 PRE NURSING SELECTION TEST- 2008

समय सारणी/TIME TABLE

परीक्षा का दिन एवं दिनांक	परीक्षा प्रारंभ	उत्तरशीटों का वितरण	उत्तरशीटों में चाही गई जानकारी भरना	प्रश्न-पुस्तिकाओं का प्रदाय	प्रश्न-पुस्तिकाओं की जाँच करना	उत्तरशीट पर उत्तर अंकित करना
रविवार 13.07.2008	प्रातः 10.00 बजे	प्रातः 10.00 बजे	प्रातः 10.00 बजे 10.10 तक = 10 मिनट	प्रातः 10.10 बजे	प्रातः 10.10 बजे 10.15 तक = 5 मिनट	प्रातः 10.15 बजे 01.15 बजे तक = 3 घण्टे

नोट :

- ❖ परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद अर्थात् प्रातः 10.15 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र में पहुँचने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी ।
- ❖ परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी को अपनी उत्तरशीट एवं प्रश्न पुस्तिका वीक्षक (Invigilator) को आवश्यक रूप से सौंपनी होगी ।

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

पी.एन.एस.टी. - 2008

प्री नर्सिंग सेलेक्शन टेस्ट - 2008

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता :

प्रवेश हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। पात्रता की शर्तों के लिए राज्य शासन द्वारा जारी चयन नियम अध्याय-1 की कंडिका 1.3 देखें।

2. परीक्षा शहर :

भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर।

3. आवेदन-पत्रों की उपलब्धता :

दिनांक 05.06.08 से दिनांक 19.06.08 के मध्य आवेदन-पत्रों का विक्रय सामान्य/पिछड़ा वर्ग के लिए रुपए 300/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रुपए 150/- के नगद भुगतान पर मंडल काउंटर, भोपाल तथा निम्नलिखित शहरों में चिन्हित संस्थाओं से किया जायेगा।

स.क्र.	शहर	संस्था का नाम
1	जबलपुर	कला निकेतन पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, जबलपुर शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर
2	रीवा	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रीवा शासकीय ठाकुर रनमत सिंह महाविद्यालय, रीवा
3	उज्जैन	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, उज्जैन शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन
4	ग्वालियर	शासकीय डॉ. बी.आर. अंबेडकर पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, ग्वालियर शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, ग्वालियर शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, तानसेन रोड, ग्वालियर
5	इन्दौर	एस.जी.एस.आई.टी.एस. पार्क रोड, इन्दौर श्री वैष्णव पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, इन्दौर शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, इन्दौर

6	विदिशा	एस.ए.टी.आई. (डिग्री) महाविद्यालय, विदिशा
7	बालाघाट	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट
8	बैतूल	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बैतूल
9	धार	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, धार
10	खण्डवा	श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा
11	शहडोल	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, शहडोल
12	सागर	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर एस.आर. शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, सागर
13	छतरपुर	शासकीय महाराजा स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, छतरपुर
14	छिन्दवाड़ा	शासकीय (स्ववित्तीय) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा
15	मंदसौर	राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर
16	रतलाम	शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम

डाक द्वारा प्रेषण : केवल मंडल कार्यालय, भोपाल से ही डाक द्वारा आवेदन-पत्र मंगाये जा सकते हैं। इसके लिये सादे कागज पर लिखित आवेदन के साथ निर्धारित राशि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी रु. 350/- तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी रु. 200/- का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का क्रासड बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नाम एवं भोपाल में देय हों, संलग्न करके डाक से केवल मण्डल कार्यालय, भोपाल से आवेदन-पत्र एवं नियम पुस्तिका मंगवा सकते हैं। ऐसे आवेदन मंडल कार्यालय में दिनांक 13-06-08 तक प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। भरा हुआ आवेदन-पत्र दिनांक 23-06-08 तक मंडल कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। विलम्ब से प्राप्त आवेदन-पत्रों को निरस्त माना जायेगा।

परीक्षा तिथि : रविवार 13 जुलाई 2008

विषय-सूची

	कंडिका	पृष्ठ क्र.
- महत्वपूर्ण जानकारी		1
अध्याय - 1 : प्रवेश नियम		
- सामान्य	1	5
- सीटों का आरक्षण	1.2	5
- प्रवेश हेतु पात्रता	1.3	6
- शैक्षणिक अर्हता	1.3.2	7
- चयन प्रक्रिया	1.4	7
- प्रवेश हेतु काउंसिलिंग	1.5	8
- प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य सेवा	1.6	9
- प्रवेश रद्द करना	1.7	9
- प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम तथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु रिक्त स्थान	परिशिष्ट-अ	10
- बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट-ब	11
अध्याय - 2 : निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम		
- आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया	2.1	12
- दस्तावेज जिन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है	2.3	12
- परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card)	2.5	13
- परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	2.11	14
- क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)	2.17	15
अध्याय - 3 : पाठ्यक्रम		
- पी.एन.एस.टी. - 2008 प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus)		16-21
अध्याय - 4 : प्रमाण-पत्रों के प्रारूप		
- प्रपत्र 01 से 9 तक		22-29
अध्याय - 5 : परीक्षार्थियों के लिए उत्तरशीट भरने हेतु निर्देश		
- परीक्षा का प्रारंभ एवं ओ.आर.एम. में उत्तर अंकित करने की विधि		30-31
- चेक लिस्ट		32
- भरे हुए आवेदन पत्र का नमूना		33-34
- ओ. एम. आर. उत्तरशीट का नमूना		35-36

PNST-2008

PRE. NURSING SELECTION TEST - 2008 (B.Sc. NURSING SELECTION TEST)

FOR GIRLS ONLY

केवल लड़कियों के लिये बी.एससी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु
उम्मीदवारों का चयन संबंधी नियम

मध्यप्रदेश शासन
चयन नियम

RULES FOR SELECTION

**SELECTION OF CANDIDATES FOR ADMISSION TO B.Sc. NURSING
(4 YEARS COURSE) TO GOVT. SPONSORED CANDIDATES
IN PRIVATE NURSING COLLEGES AND
GOVT. NURSING COLLEGE INDORE.**

2008

Made and Issued by

**PUBLIC HEALTH & FAMILY EDUCATION DEPARTMENT
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL**

अध्याय-1

बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम - 2008

1. सामान्य :

1.1 ये नियम राज्य के शासकीय/अशासकीय “बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम” कहलायेंगे।

1.1.1 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग में शासन द्वारा स्पोंसर्ड उम्मीदवार के रूप में प्रवेश लेना चाहते हैं तथा शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन्दौर में प्रवेश लेना चाहते हैं।

1.1.2 परिभाषाएं :

इन नियमों में -

1. श्रेणी से तात्पर्य है 3 श्रेणियों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है।
2. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
3. टेस्ट से तात्पर्य है Pre. Nursing Selection Test (PNST) प्री नर्सिंग चयन परीक्षा।
4. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालक चिकित्सा शिक्षा तथा उप संचालक(नर्सिंग), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय।

1.2 सीटों का आरक्षण :

बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट -“अ”- में दिया गया है।

टिप्पणी :-

- (अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (जी.एन.टी. में उपयोग किये गये प्रारूप की छायाप्रति संलग्न है)

नोट :- प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ-जहाँ प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय-4) देखें।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) श्रेणी - ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :-

- (अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र ।
- (ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता-पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ-पत्र ।
- (स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा ।
- (द) यदि ऐसा शपथ-पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा ।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी क्रीमीलेयर को छोड़कर- ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर श्रेणी में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :-

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी :-

1. जो भारत का नागरिक हो ।
2. (क) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो ।

अथवा

(ख) जो निम्नलिखित की पुत्री हो -

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुये मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी (निर्धारित प्रारूप देखें) ।

अथवा

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी 2007 को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो ।
3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो ।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए ।

स्पष्टीकरण :- 1 विकलांग उम्मीदवार के प्रावीण्यता (मैरिट) में आने की स्थिति में विकलांगता के साथ वह उम्मीदवार स्टाफ-नर्स के पद के कर्तव्यों को निभा सकेगी अथवा नहीं, ऐसा स्पष्ट मत जिला मेडिकल बोर्ड से लिया जाकर प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

- 1.3.2 **शैक्षणिक अर्हता :-** इन बी. एस. सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 की प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, जीवविज्ञान, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त केन्द्रीय स्कूल में 10 +2 की कक्षा भौतिकी, जीवविज्ञान, रसायन एवं अंग्रेजी विषयों में 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

- 1.3.2.1 **अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता :-** प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, किन्तु इन छात्रों को अर्हकारी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश की पात्रता सिद्ध करनी होगी। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर सीट आवंटित नहीं की जावेगी।
- 1.3.3 **आयु सीमा:-** 1 जुलाई 2007 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- 1.3.4 **स्पष्टीकरण :-** आयु-सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रक्रिया :-

- 1.4.1 बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा बी.एस.सी. नर्सिंग चयन परीक्षा (प्री. नर्सिंग सलेक्शन टेस्ट) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूचियां श्रेणीवार उपलब्ध करायी जावेगी।

नोट : अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ावर्ग का कोई उम्मीदवार जिसका नाम अपने आरक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट)/ प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट)/ प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउंसलिंग के दौरान यह विकल्प होगा कि वह सीट आरक्षित श्रेणी का चयन करेगा अथवा अनारक्षित श्रेणी से।

- 1.4.2 इन चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा। कुल अंक भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग होगा।

टीप :- अंग्रेजी भाषा के प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंकों को भी जोड़ कर प्रावीण्यता सूची तैयार की जावेगी।

- 1.4.3 **समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :-** समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर-निश्चित किया जायेगा। प्रथम-जीवविज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय-भौतिकी एवं चतुर्थ-अंग्रेजी।
- 1.4.4. प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा अंकों के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से श्रेणी अनुसार योग्यताक्रम सूचियाँ बनायी जावेंगी।

1.5 प्रवेश हेतु काउंसिलिंग :-

- 1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम कर वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ावर्ग) उल्लेख किया जावेगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी एवं मेरिट क्रमानुसार प्रवेश दिया जावेगा। काउंसिलिंग की तिथियाँ प्रथक से घोषित की जायेंगी।

1.5.2 काउंसिलिंग में उपस्थिति अनिवार्य :-

काउंसिलिंग में जो उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होंगे उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार सीट आवंटित की जावेगी। नियत तिथि को उपस्थित न होने की स्थिति में चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

1.5.3 काउंसिलिंग का स्थान :-

आई.ई.सी. ब्यूरो, 1250 जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, तुलसी नगर, भोपाल में काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी।

1.5.4 काउंसिलिंग के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची :-

उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में निम्न प्रमाण-पत्र साथ में लाना अनिवार्य है अन्यथा उनको कोई सीट्स आवंटित नहीं की जावेगी:-

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (बायोलॉजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र साइंस ग्रुप) प्रत्येक की दो-दो सत्यापित छायाप्रति एवं मूल अंकसूची।
2. जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं दो छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की दो सत्यापित छायाप्रति।
4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण-पत्र। गर्भवती उम्मीदवार को अपात्र (अनफिट) मान्य किया जावेगा।
5. प्री नर्सिंग सलेक्शन टेस्ट अंकसूची/प्रवेश पत्र मूलतः एवं दो सत्यापित छायाप्रति दो सेट।

टिप्पणी :-

- (i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

- (ii) काउंसिलिंग में आने के पूर्व उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों।
- (iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

1.5.5 प्रतीक्षासूची के उम्मीदवारों को सीट का आवंटन :-

प्रतीक्षासूची के उम्मीदवारों को रिक्त सीट्स आवंटित की जावेगी।

1.5.6 यात्रा भत्ता देय नहीं :-

उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1.6 प्रशिक्षण के उपरान्त 7 वर्ष की अनिवार्य सेवा :-

सभी चयनित उम्मीदवारों को जो स्पोंसर्ड हैं, संख्या 500 को नर्सिंग कॉलेज में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ-नर्स के पद पर म.प्र. में कहीं भी 7 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी। शासन द्वारा निजी नर्सिंग कॉलेजों हेतु स्पोंसर्ड छात्राओं को केवल 4 वर्ष के लिये छात्राओं को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एन.आर.एच.एम. योजना से शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जावेगा। अनुत्तीर्ण होने पर स्वयं फीस वहन करना होगा। फीस को निरंतरता में लाभ लेने हेतु स्पोंसर्ड छात्राओं को प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण रहने की स्थिति में ट्यूशन फीस रोक दी जावेगी। उत्तीर्ण होने पर पुनः प्रारम्भ होगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत जानकारी देकर, सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :-

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी (Final Authority) रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों/ प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :-

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम:-

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट - 'ब' में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टाँफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान:-

बी.एससी. नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप रुपये 4000-6000 (शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तित वेतनमान) के वेतनमान में स्टाँफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1/आर.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट - 'द' (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिये मॉडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 550 सीटों का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

प्रथम 50 मेरिट क्रम की छात्राओं को आरक्षण नियम के अनुसार शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर में तथा 50 से नीचे क्रम को शासन द्वारा निर्धारित निजी कॉलेजों में आवंटित किया जावेगा।

नोट :- आवंटन के पश्चात् कॉलेज परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट 'अ'

क्रं.	कॉलेज का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
				16%	20%	14%
1.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदौर	50	25	8	10	7
2.	निजी क्षेत्र के कॉलेज शासन के शर्त के अनुसार सहमति प्रदान करने वाले आई.एन.सी. एवं स्टेट नर्सिंग कौंसिल से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के कॉलेजों में प्रवेश आरक्षण नियमानुसार किया जावेगा।	500	250	80	100	70

नोट :- बी.एससी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता जी.एन.टी. के समान होने के कारण सिलेबस जी.एन.टी.एस.टी. का ही रहेगा।

बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

1. बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण का व्यय :-
(अ) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर स्वशासी कॉलेज होने के कारण प्रतिवर्ष रु. 25000/- शिक्षण शुल्क एवं कॉशन मनी रु. 500/- हॉस्टल चार्जस रु. 6000/- कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुल्क रु. 1000/- प्रतिवर्ष देय होगा। (शासन के नियमानुसार समय-समय पर परिवर्तित शुल्क निर्धारित करने पर तदनुसार देय होगा)
(ब) मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के आधार पर निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों को शासन द्वारा चयनित 500 उम्मीदवारों को शिक्षण शुल्क प्रदाय किया जावेगा। शेष अन्य व्यय छात्राओं को स्वयं वहन करना होगा। शासन द्वारा केवल 4 वर्ष के लिये ही शिक्षण शुल्क दिया जावेगा। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रा को व्यय स्वयं वहन करना होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
5. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के नियम का पालन करना होगा।
6. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/ नर्सिंग/प्रशि.-3/94/1588/1601, दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
7. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
9. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
10. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
11. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लिनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
12. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
13. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
14. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन न करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
16. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
17. छात्राओं द्वारा रु. 2 लाख का अनुबंध (बाण्ड) भरना अनिवार्य है। (शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित के अनुसार अनबंध (बाण्ड) भरना होगा।)

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

vè; k; & 2

eè; i nš k 0; kol kf; d ijh{kk e.My] Hkksí ky

funž k , oa ijh{kk l pkyu fu; e

2-1 vks, e-vkj- vkonu i = Hkjus dh i fØ; k %

pkškkus□ dkyh L; kgh okysMKV i su l s, oa xksys○ ea p kgh xbz tkudkj h døy , p-ch i šil y l sHkj h tkoA pkškkusea døy vaxth ds dš i Vy yšj rFkk vaxth ds vad dk iz kx dja , d pkškkusea døy , d v{kj ; k , d vad gh fy [kk tk; A nks 'kCnka ds chp ea, d pkškkuk [kkyh NkMA =ŋVo'k xyr tkudkj h Hkjus ij ml sl QkbZ l s feVkdj l qkkj yA i foŋV; k; Hkjusea gŋZ =ŋV; ka ds fy; s vH; FkhZ Lo; a ftEenkj gksxA

egRo i w k z %

¼½ ; fn vks, e-vkj- vkonu i = dh fdl h dšMdk ea ckD l ea Hkj h xbz , oa bl l sl æfkr xksys ea Hkj h xbz tkudkj h ea varj i k; k tkrk gšrks xksys ea i šil y l sHkj h xbz tkudkj h dks vŋre ekuk tk, xkA

½½ vks, e-vkj- QkeZ ea dh xbz i foŋV dks cnyus ds l æak ea fdl h Hkh izdkj dh i NrkN ; k i = 0; ogkj ugha fd; k tk, xkA

¾½ vH; fFkZ ka dks vks, e-vkj- vkonu i = ea funž kkuq kj vi uk Qks/ks fpi dkdj , oafu; r LFku ij gLrk{kj dj Hkstuk vfuok; Zgksk] vH; Fkk vkonu fujLr ekuk tk; xkA ¼Qks/ks ds i hNs vH; FkhZ ijh{kk dk uke] vi uk uke] 'kgj , oa vks, e-vkj- vkonu&i = Øekad vo'; fy [kž

ijh{kk 'kgj % ; g ijh{kk eè; i nš k ds Hkksí ky] Xokfy; j] blnkš , oa tcyi g] 'kgj ea vk; kš tr dh tkoxhA

2-2 vkonu i =ka dk ijh{k.k@LØWuh %&

vks, e-vkj- (OMR) vkonu i = ea vkond }kjk l Hkh tkudkj h bl fu; e i ŋLrdk dks i <ej] l e>dj Hkj uk gksxA fu; e i ŋLrdk eafn; sx; sfu; eka ds vuq kj l feefyr gksudh i k=rk r; djus dh ftEenkj h Hkh Lo; a vkond dh gksxA vi w k z vkonu i =ka dks e.My }kjk vLohdkj fd; k tk; xkA

2-3 nLrkost ftlga vkonu i = ds l kFk l ayXu djuk gš %&

¼½ ; fn vH; FkhZ vkj f{kr Jskh ; Fkk vuq ŋpr tkfr@vuq ŋpr tutkfr dk gšrks vkj f{kr Jskh ds i ek.k i = dh Qks/ks ifr l ayXu dja

- 2-4 tek fd; s x; s vkonu&i = dks oki l ugha fd; k tk; xk %&
- (i) vkond }kjk tek fd; s x; s vkonu&i=@ijh{kk 'kyd dks fdl h Hkh fLFkfr ea oki l ugha fd; k tk, xkA
 - (ii) fdl h vU; ijh{kk fo'kSk ds fy, Ø; fd; k x; k vkonu&i = bl ijh{kk ea eku; ugha gkskA
 - (iii) vks, e-vkj- vkonu&i = dh Nk; ki fr dks eku; ugha fd; k tk; xkA
- 2-5 ijh{kk iDsk&i = (Test Admit card) %&
- iwlZ : i l shkjs vks, e-vkj- vkonu&i = e.My dk; kzy; ea iklr gksus ds mijkar vH; fFkZ ka dks ijh{kk ds iDsk&i = (Test Admit card-TAC) HkstS tk; xkA
- 2-6 MlyhdV VLV , MfeV dkmZ (Duplicate TAC)
- ; fn fdl h vH; FkhZ dks ijh{kk ds iDsk&i = (TAC) iklr ugha gkrk gS rks vH; FkhZ MlyhdV VLV , MfeV dkmZ e.My dh osl kbV/ www.vyapam.nic.in l s MkmuykM (Download) dj l hks ijh{kk ea l fEefyr gks l drs gA
- ukV %& iDsk i = tkjh gksus ds mijkar =fV dsnf"Vxkpy gksus ij e.My ml sjí@fujLr djus dk vfedkj l g{kr j [krk gA
- 2-7 ijh{kk ds fo"k; , oa izu&i = %&
- izu&i = ea150 izu oLrqu"B izdkj dsgkx\$ ftuea iR; d izu dspkj l Hkkfor mRrj@fodYi fn; sjgxA ijh{kkFkhZ dks l gh mRrj pqudj ml l sl æfkr xkys dks vks, e-vkj- mRrj'khV ij dkyh L; kgh okys MkW i s l s dkyk djuk gkskA
- 2-8 ikB; Øe %&
- ikB; Øe fu; e iqlrdk ds vè; k; &3 ea n'kkZ; k x; k gA
- 2-9 =fViwlZ izu] ml dk fujLrhdj.k , oa cnys ea fn; k x; k vad %&
- ifr; ksch ijh{kk gksus ds dkj .k dñ izuka dk mPpLrjh; gksuk LokHkkfod gA , d sizuka dks muds mPpLrj dk gksus ds dkj .k ikB; Øe l sckgj ekudj fujLr djus l æakh vH; konuka dk se.My eku; ugha djskA , d sizu u rks fujLr fd; s tk, xsvk\$ u gh e.My bl vkekj ij izuka dks fujLr djus ds fy, ckè; gkskA
- ijh{kk mijkar e.My }kjk fo"k; fo'kSkKka l sizu i = ds iR; d izu dk ijh{k.k dj; k tkrk gA fo"k; fo'kSkKka }kjk fdl h izu dks =fViwlZik, tkus ij ml izu dks fujLr dj fn; k tkrk gA fuEufyf[kr dkj .kka l sizu fujLr fd, tk l drs gA

- 1- izu dh l j puk xyr gkA
- 2- mRrj ds : i eafn ; s x ; sfodyi ka ea , d l svfekd fodYi l gh gkA
- 3- dkbz Hkh fodYi l gh u gkA
- 4- ; fn izu&i = dsfdl h izu ds vaxsth , oafglnh vuokn ea fHKUrk gksftl dkj .k nka ds fHKU&fHKU vFkz fudyrs gka vksj l gh , d Hkh mRrj iklr u gsrk gkA
- 5- dkbz vU; epz k = qV gpz gksftl l sl gh mRrj iklr u gks ; k , d l svfekd fodYi l gh gkA

fo"K; fo"KkK l febr }kjk dh xbz vuqka k vuq kj , d sfujLr fd, x, izuka ds fy, l Hkh dks bl izu&i = eamuds }kjk vftir vadka ds vuqkr eae. My vad inku djrk gA Hkysgh ml us fujLr fd, x, izuka dks gy fd; k gks ; k ughA

mngj.k Lo: i ; fn fdl h 150 izuka ea 2 izu fujLr fd, tkrs g vksj eV; kadu ds ckn ; fn vH; FkhZ 148 izuka ea 131 vad iklr djrk gA rks ml ds vadka dh x.kuk bl izdkj gkschA

$$\frac{131 \times 150}{(150 - 2)} = 132.77$$

2-10 eV; kadu i) fr %

oLrqu" B izu dk l gh mRrj vadr djus ij , d vad fn; k tk; xkA xyr mRrj vadr djus ; k , d l svfekd mRrj (Multiple marking) vadr djus , oai zuka ds mRrj vadr u djus ds QyLo: i 'k'; (Zero) vad ink; fd; k tk; xkA __.kkRed eV; kadu ugha fd; k tkoskA

2-11 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %

izdk fu; eka ds vkekj ij e. My }kjk ik= ?kks"kr vH; fFkz ka dh l pph cukbz tk, xhA ijh{kk ifj.kke eè; in'k 0; kol kf; d ijh{kk e. My dh osl kbV www.vyapam.nic.in ij nqkk l drk gA in'k ds iedk l ekpkj i=ka ea ijh{kk ifj.kke l cakh foKflr izdkf'kr dh tk; xhA

2-12 vad l pph %

ijh{kk ifj.kke ?kks"kr gkus ds mijkar l Hkh vH; fFkz ka dks ; Fkk' kh?kz vad l pph ; wi h-l h- Mkd }kjk Hksth tk; xhA Mkd ea foye vFkok ekdz khV xpus dh fLFkfr eae. My mukjnk; h ugha gkskA

2-13 MlyhdV vad l pph %

; fn dkbz vH; FkhZ vad l pph dh f}rh; ifr iklr djuk pgrk gA rks ml s#i ; s100@& dk cid MRqV@cid l zpsd tek djuk@Hkstuk gkskA 0; fDrxr : i l sMlyhdV vad l pph iklr djus ds

fy, vkonu&i= e.My dk; kzy; ea vijklg 1-00 ctsrd iLrŕ djuk gksxA

2-14 e.My ,oa e-iz 'kkl u dk dk; {ks= %&

e-iz 0; kol kf; d ijh{kk e.My dk dk; ZiĐsk ijh{kk dk l pkyu ,oaml dk ifj.kke ?kks"kr djuk ek= gksxA ijh{kk l pkyu l sl æfækr l Hkh ufrxr fo"k; ka dk fuëkkj .k ,oafu.kz yusdk vfare vfedkj e.My dk gksxA e.My vius ikl ijh{kk l pkyu l æakh@ifØ; kvka dks l ákkækr djusdk vfedkj l jf{kr j[krk gS ,oe.My }kjk fd; k x; k dkbZ Hkh ,d k l ákkæku cakudkjh gksxA

bl ijh{kk l æakh l Hkh ufrxr fu.kz yusdk vfedkj e-iz 'kkl u dk gksk rFkk bl iqlrdk ds tkjh gksus ds ckn Hkh vijjgk; Zi fjlFkr; ka ea e-iz 'kkl u dk dkbZ Hkh fu.kz ¼ fin gks rksz inš ds iæŕk l ekpj&i=ka ea izdkf'kr gksk rFkk l Hkh vH; fFkz ka ij cakudkjh gksxA

2-15 vkWykbu vkonu i= iLrŕ djuk %&

vH; Fkhz vkWykbu vkonu i= fuEufyf[kr osl kvŕ ds ekè; e l s iLrŕ dj l drs gS %&

www.vyapam.nic.in

www.mponline.gov.in

2-16 vufpr l këku (Unfair Means- U.F.M.) :-

ijh{kkFkhz ijh{kk i kjHk gksus ds iDZl ŕuf'pr dj ysfv vH; Fkhz dh l hV ij] l hV ds fudV] muds ikl] dEi kl] Ldsy] ; k i kkbZ/ ea dkbZ vokNuh; l kexh] dkbZ iqlrd ; k dkxt vkfn ugha gkA budk gksk vufpr l këkuka dk iz ks ea yuk ekuk tk; sxk ,oarnud kj ; g n.Muh; gksxA bl h izkj ijh{kk d{k ea vU; ijh{kkFkz ka l s pprz djuk] muds mRrj'khV@ifØ i iqlrdk l s udy djuk vFkok viuh mRrj'khV@ifØ i iqlrdk l s vU; ijh{kkFkz ka dks udy djokuk] fdl h Hkh vU; ijh{kkFkhz l s blgacnyuk] d{k ea cksyuk vkfn vufpr l këkuka ds iz ks ds vaxzr ekuk tk; sxkA ,d sl Hkh izdj.k U.F.M. ds vaxzr ntZ dj fcuk fdl h l qokbz ds ijh{kkFkhz dh l áwkz ijh{kk fujLr dj nh tk, xhA l kFk gh ml svkxeh ,d h vofek ds fy,] tkse.My mfpr l e>} e.My dh l Hkh ijh{kkvka l sofpr fd, tkusdk n.M Hkh fn; k tk l dskA n.M nusdk vfedkj e.My ds fu; æd dks gksk vkš og vfare gksxA

2-17 {ks=kfedkj %&

fdl h Hkh ijh{kk l pkyu l æakh@ifØ; kvka ds fofek l æakh fookn dh fLFkr ea {ks=kfedkj (Jurisdiction) eè; inš ds mPp U; k; ky; rd gh l hfer jgskA

अध्याय-3

पाठ्यक्रम (Syllabus)

भौतिकी (Physics)

Units and dimensions, Dimensional analysis, S.I. Units, motion in two dimensions, Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation among position and velocity, Uniform circular motion. Force and inertia, Newton's Laws of motion, conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work energy and power, Elastic collisions. Potential energy, gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis, moment of inertia of uniform ring, disc thin rod and cylinder only.

Acceleration due to gravity and its variation. Universal law of gravitation, geostationery satellites, escape velocity.

Hooke's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats at constant volume and constant pressure. Mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation. Stefan's law and Newton's law of cooling, Periodic motion, simple harmonic motion. Oscillations due to spring. Wave motion principle of superposition, Progressive and stationary waves, beats and Doppler's effect.

Wave nature of light, Interference, Young's double slit experiment, velocity of light and Doppler's effect in light.

Reflection, Refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulas, dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope microscope.

" e " and " e/m " for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radio activity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, Massenergy relation, fission, X-Ray properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semi-conductors, pn-junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatics, dielectric constant electric field and potential due to a point charge, dipole field, Gauss's law in simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors, capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer.

Measurement of voltages as currents.

Electric power heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity Biot-Savart law. Magnetic fields due to a straight wire, circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), Magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced emf, Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance Alternating currents impedance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

रसायन (Chemistry)

General and Physical Chemistry

1. Structure of Atom : constitution of nucleus : Bohr's atom model : quantum numbers Aufbau principal, electronic configuration of elements (upto-Kr) : de Broglie relation, shapes of orbitals.
2. Chemical bond : Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridisation (sp) hydrogen bond : shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity resonance, Elements of VBT and MOT.
3. Solutions : Modes of expressing concentrations of solutions : Types of solutions; Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.
4. Solid State : Crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure, Ionic radii, imperfections (Point defects): Properties of solids.
5. Nuclear Chemistry : Radio active radiations: Half-life, radioactive decay, group displacement law, Structure and properties of nucleus : Nuclear reactions, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses : Radio carbonating.

6. Chemical equilibrium., Law of mass action : K_p and K_c : Le Chatelier principle and its applications.
7. Ionic Equilibria in Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts : pH; buffers.
8. Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction; intrinsic energy, enthalpy; First law of thermodynamics : Hess's Law Heats of reactions; Second law of thermodynamics; Entropy; free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work.
9. Chemical Kinetic: Rate of a reaction, factors affecting the rate, Rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant-expression and characteristics, Arrhenous equation.
10. Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction, Faraday's laws voltaic cell, electrode theory of corrosion.
11. Surface chemistry colloids and Catalysis; Adsorption, colloids (types, preparation and properties), emulsions, Micelles, Catalysis : Types and characteristics.

Inorganic Chemistry :

12. Principles of metallurgical operations : furnaces, ore concentration, extraction purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.
13. Chemical periodicity : s,p,d and f-block elements, periodic table; periodicity : atomic and ionic radii valency, ionisation energy, electron affinity, electronegativity, metallic character.
14. Comparative study of elements : Comparative study of the following families of elements: (i) Alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.
15. Transition metals : Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties. Potassium permanganate, potassium dichromate.
16. Co-ordination compounds: simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics.
17. Chemical Analysis : chemistry involved in simple inorganic qualitative analysis : calculations based on acid-base titrimetry.

Organic Chemistry :

18. Calculation of empirical and molecular formulae of organic compounds, Nomenclature of organic compounds, common functional groups, isomerism, Structure and shapes of alkanes, alkenes and benzene.

19. Preparation properties and uses of alkynes, alkenes and alkyenes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.
20. Nomenclature, Physical Chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: general ideas of some polyhalogen compounds viz. dichloroethanes dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride, D.D.T. benzene, hexachloride.
21. Nomenclature methods of preparation, Chemical properties, correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones carboxylic acids and their derivatives. Brief, account of the chemistry of cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.
22. Polymers : Classification : Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.
23. Biomolecules : Classification, Structures and biological importance of carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

वनस्पति (Botany)

Structural organisation of cell, Cell theory : Light and electron Microscopic view of cell: Structure and function of cell organelles : Nucleus, Mitochondria. Chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, microbodies, microfilaments. Ribosomes, Centrioles, and Plasmids, Eukaryotic. chromosome (Morphology) cell wall and plasma membrane. difference between plant and animal cell; Cell Division, Cell cycle, significance of Mitosis and meiosis.

Mendel's Laws of inheritance, Monohybrid and dihybrid cross; Linkage and crossing over of genetic material: DNA replication genetic code, transcription, translation and gene regulation.

Difference between prokaryote and Eukaryotes; Structure, reproduction and economic importance of viruses, Mycoplasma, Bacteriophage, Cyanobacteria (Nostoc) and Bacteria.

Five Kingdom classification; binomial nomenclature; external morphology and life cycle of Spirogyra, Mucor, Funaria, Selaginella and Pinus.

Elementary Knowledge of Microsporogenesis, megasporogenesis, Fertilisation, endosperm and embryo development in Angiosperms.

Tissue of tissue systems, meristematic and permanent tissue, Mineral nutrition essential elements and their functions; Uptake of minerals, transport of water and solutes. Transpiration Photosynthesis and Respiration-Importance, mechanism and factors affecting these processes: Photorespiration.

Enzymes and growth hormones with reference to their classification. Chemical nature, mode of action and importance, Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem-structures and function; Major ecosystems i.e. Lake and Forest; food chain. Food Web and Energy flow. Ecological crisis-Role of man in Polluting environment-Air, Water and Soil.

Role of plants in human welfare : general knowledge of plant products of economic value-Drugs, Fibers, cereals.

(Wheat and Rice) Pulse (gram), Oil seeds (Ground nut). Sugarcane, Coal and Petroleum.

Food Preservation-Methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops. biotechnology: Scope and importance in agriculture and industries-manufacture of cheese, yoghurt Alcohol Antibiotics.

प्राणी शास्त्र (Zoology)

Multicellularity - Structure and functions of animal life :

- Structure and function of Animal tissues-Epithelial, Connective, Muscular, Skeletal and Nerve.
- Histology of Mammalian organs-Stomach, Intestine, Liver, Kidney, Lung, Testis and Ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of Human body-Skin, digestive System, Respiratory System, Circulatory system, Excretory system, Nervous system, Reproductive system.
- Skeleton, Joints, Muscles on the basis of movement Receptors.
- Endocrine system with special reference to various Endocrine glands of man and Hormonal co-ordination.
- Vitamin & minerals. (source and disorders due to deficiencies)

Developmental Biology and genetics :

- Female reproductive cycles in mammals. Gametogenesis alongwith structure of Sperm and Ovum. Types of eggs. Fertilization, cleavage, types of cleavage and blastula, Development of mammals upto three germinal layers. Foetal membranes, Structure and functions in mammals.
- Growth, repair and ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, Types of chromosome, Human Karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, Hormonal, Chromosomal and Genic Balance theory of sex determination. Sex linkage and Sex linked inheritance in Man. Blood Groups and their significance. Blood bank.
- Tissue culture, genetic Engineering (Brief Idea). Mutation, gene mutation.

- Human population-Natality, Mortality, Sex ratio, Population explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing, health and standard living impact of population, problems and their control.

Taxonomy evolution economic Zoology:

- Classification-Bionomial and trionomial nomenclature, Basic features of classification. classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.
- Origin of life. Theories, of Organic evolution-Darwin, Lamarck, Synthetic, Evidences of organic evolution, Human Evolution.
- Protozoan disease in relation to man. Insect carrying diseases in relation to man.
- Cancer-types of cancer and cancer cell. Communicable diseases (Hepatitis, AIDS) STD, Immune response, Vaccines and antisera, Allergies.
- Smoking, alcoholism and drug addiction, symptoms and control.
- Wild life conservation.
- Pesticides-Uses, advantages and hazards.

सामान्य अंग्रेजी (General English)

1. Reading comprehension.
2. Vocabulary items including synonyms and antonyms, word formation, Prefixes, Suffixes.
3. Grammar and usage :
 - (a) Articles and other determiners.
 - (b) Agreement between the subject and the verb.
 - (c) Time and tenses.
 - (d) Prepositions and phrasal verbs.
 - (e) Auxillaries including modals.
4. Transformation of sentences:
 - (a) Voices : active and passive
 - (b) Narration : direct and indirect
 - (c) Degrees if comparison
 - (d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative.
5. Common errors.
6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).

अध्याय - 4

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र-1 :

उम्मीदवार के पिता /माता /वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

(केवल अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम :

पिता का नाम :

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) :

धर्म :

व्यवसाय :

पता :

.....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला(म.प्र.) के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी :- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

प्रपत्र-2 :

उम्मीदवार के पिता माता वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक

प्रकरण क्रमांक.....

प्रमाण-पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पिता/पति का नाम निवासी/ग्राम/नगर
..... वि.ख. तहसील

जिला संभाग जाति/जनजाति का/की
सदस्य है और जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति /
अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित
जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर
अंकित हैं। अतः श्री/श्रीमती/कुमार

पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति
का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये हैं।
उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक :

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

- टिप्पणी :-
1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
 2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर /डिप्टी कलेक्टर /एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक अधिकारी, वृहत्/मध्य/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जाँच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

प्रपत्र -3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत कियेजाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि कु. /श्रीमती (परीक्षार्थी का नाम)
 आत्मज श्री/श्रीमती निवासी ग्राम/नगर
 जिला/संभाग..... म.प्र. के निवासी हैं, जो
 जिला के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8.5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1994 द्वारा अधिमन्य किया गया है.

कु./श्रीमती (पिता/माता/पति का नाम) और
 /या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला संभाग..... में निवास करता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 (पिता/माता/पति का नाम) क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते/आती हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रं. 360/2/22/93/स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कॉलम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1/आ. प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट -ई की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी का नाम
 पदनाम
 (सील)

प्रपत्र-4 :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम) श्री/ कुमारी
.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से (स्थान) तहसील जिला..... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक

(कार्यालय सील)

प्रपत्र - 5 :

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी
आत्मजा पत्नी श्री.....
ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या (संस्था का नाम) में
सत्र से सत्र तक अध्ययन किया है।

स्थान

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम एवं पद

दिनांक

(कार्यालय सील)

प्रपत्र- 6 :

वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
 आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती जो तहसील
 जिला मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त -

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10 2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान

.....

दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र- 7 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती का /की/पुत्री है।

(क) जो विभाग में पद
पर (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी
है।

अथवा

(ख) जो विभाग में पद
पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो
(तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो विभाग में
पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए
(तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो विभाग में पद
पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

दिनांक

.....
कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

प्रपत्र- 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती का /की/पुत्री है,
जो दिनांक 1 जनवरी 2006 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि में मध्यप्रदेश में
स्थित विभाग में पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक
उपक्रम का/की कर्मचारी है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

स्थान

नाम एवं पद

दिनांक

(कार्यालयीन सील)

प्रपत्र- 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती का /की/पुत्री है,
जो योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन /
मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

स्थान

नाम एवं पद

दिनांक

(कार्यालयीन सील)

अध्याय - 5


परीक्षार्थियों के लिए उत्तरशीट भरने हेतु निर्देश

1. (क) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. उत्तरशीट में प्रविष्टियाँ जैसे नाम, रोल नं. आदि भरने के लिए परीक्षा आरंभ में मात्र 10 मिनट का समय दिया जाएगा।
- (ख) निर्धारित 10 मिनट के पश्चात् अभ्यर्थियों को प्रश्न-पुस्तिका दी जावेगी, जिसमें अभ्यर्थी को निम्नानुसार कार्यवाही करना होगी :-
 - (i) प्रश्न पुस्तिका में चारों तरफ से लगी हुई कागज की सील देख लें। बिना कागज की सील लगी अथवा खुली हुई प्रश्न पुस्तिका स्वीकार न करें।
 - (ii) प्रश्न पुस्तिका के पृष्ठों तथा प्रश्नों की संख्या का मिलान इस मुख पृष्ठ पर दी गई संख्याओं से कर लें। यदि इसमें कोई भिन्नता हो तो कृपया प्रश्न-पुस्तिका बदल लें। यह कार्यवाही आपको प्रश्न पुस्तिका मिलने के 05 मिनट के अंदर करनी है। इसके पश्चात् न तो प्रश्न पुस्तिका बदली जायेगी और न ही अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
 - (iii) प्रश्न पुस्तिका के जाँच के उपरांत प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक अपनी उत्तर शीट में अंकित करें एवं काले डॉट पेन से संबंधित गोलों को भरें
2. (क) दी गई ओ. एम. आर. उत्तर-शीट के पृष्ठ -1 के ऊपरी आधे हिस्से में अपना नाम, रोल नं., परीक्षा का नाम, परीक्षा केन्द्र का नाम, परीक्षा तिथि एवं प्रश्न-पुस्तिका की क्रम संख्या अंकित करें तथा अपने हस्ताक्षर भी करें। इसी पृष्ठ के निचले आधे हिस्से में सबसे ऊपर की लाईन में बने चौखाने में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में प्रथमतः अपना सरनेम एवं इसके पश्चात् नाम लिखें। एक चौखाने में एक ही अक्षर लिखें, फिर प्रत्येक अक्षर के नीचे उसी अक्षर वाले गोले को काले डॉट पेन से गहरा काला भरें।
- (ख) ओ. एम. आर. उत्तर-शीट के पृष्ठ क्र. 2 पर रोल नं., आदि चौखाने में लिखें एवं संबंधित गोले को काले डॉट पेन से काला करें।
- (ग) ओ. एम. आर. उत्तर-शीट के पृष्ठ क्र. 2 पर प्रश्नों के उत्तर अंकित किया जाना है।
3. ओ. एम. आर. उत्तर-शीट में काले डॉट पेन से भरे गोलों की प्रविष्टियों को ही पढ़ती है, अतः परीक्षार्थियों को सचेत किया जाता है कि वे ओ. एम. आर. उत्तर-शीट के पृष्ठ 1 व 2 की प्रविष्टियों को भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें एवं कोई त्रुटि न करें।
4. ओ. एम. आर. उत्तर-शीट पर निर्धारित स्थानों पर वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण करने के अतिरिक्त अन्य कुछ न लिखें।

5. ओ. एम. आर. उत्तरशीटों में उत्तर करने की विधि :

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभ्यर्थी को चार संभावित उत्तरों में से केवल एक उत्तर चुनना है। इस चुने हुए उत्तर के गोले को बाल प्वाइंट पेन से काला करें। यदि असावधानीवश किसी अन्य गोले में अभ्यर्थी से कोई चिन्ह लग जाता है, या रेखा खिंच जाती है तो पूरी संभावना है कि ओ.एम.आर. स्कैनर द्वारा इसे 'पढ़' लिया जावेगा, जिसका प्रभाव उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन पर होगा। अतः अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका के रखरखाव में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

उदाहरण :-



6. उत्तर शीट एवं प्रश्न पुस्तिका वीक्षक को सौंपना :

- (i) वीक्षक को ओ.एम.आर. उत्तरशीट सौंपने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. उत्तर शीट के दोनों पृष्ठों पर सभी प्रविष्टियाँ जैसे-नाम, रोल नम्बर, हस्ताक्षर, प्रश्न पुस्तिका का नम्बर, आदि निर्धारित स्थान पर अंकित कर दिये गए हैं।
- (ii) परीक्षा उपरान्त परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है यदि अभ्यर्थी जाने-अनजाने में प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाता है तो उसके विरुद्ध यू.एफ.एम. प्रकरण के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

7. ओ.एम.आर. उत्तरशीट के उपयोग में सावधानी : ओ.एम.आर. उत्तरशीट का उपयोग करते समय पूर्ण सावधानी बरतें। इसे फटने, मोड़ने या सलवट पड़ने से खराब न होने दें।

चेक लिस्ट

आवेदक भरा हुआ आवेदन-पत्र विक्रय संस्था में जमा करने के पूर्व निम्न चेक लिस्ट से मिलान अवश्य करें।

निम्न प्रविष्टियों की जाँच करें एवं सही पाये जाने पर (✓) टिक करें।

1. क्या आपने ओ. एम. आर. आवेदन पत्र के सभी चौखानों एवं गोलों में आवश्यकतानुसार प्रविष्टियाँ कर दी हैं?
2. क्या आपने निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा किया है?
3. क्या आपने निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किये हैं?
4. क्या आपने भर हुये ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो कॉपी अपने पास सुरक्षित रख ली है?
5. क्या आपने लिफाफे (○) में भरा हुआ ओ.एम.आर. बिना मोड़े रख दिया है?

ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का नमूना

IMPORTANT NOTE
Do not Attach any Certificate / Mark sheet Along with the
OMR Application Form

ओ.एम.आर. उत्तर शीट का नमूना

H.P. PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, BHITDAL
 THE H.P. BOARD OF PROFESSIONAL EXAMINATIONS, BHITDAL, DISTRICT - 191001
OPEN ANSWER SHEET

ROLL NUMBER <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>									NAME OF CANDIDATE(S) <hr/>
TYPE OF EXAMINATION <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>				NAME OF CANDIDATE(S) <u>Spomen (op)</u>					

IMPORTANT INSTRUCTIONS 1. Candidates should write their answers in their own handwriting. 2. Candidates should not write anything in the margin of the answer sheet. 3. Candidates should not use any correction fluid or white wash. 4. Candidates should not use any eraser or sharpener on the answer sheet. 5. Candidates should not use any mobile phone or any other electronic device during the examination.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">ANSWERS OF THE CANDIDATE</th> <th style="width: 50%;">ANSWERS OF THE EXAMINER</th> </tr> <tr> <td style="height: 150px;"> (This area is reserved for the candidate's answers. The candidate should write their answers in their own handwriting.) </td> <td style="height: 150px;"> (This area is reserved for the examiner's answers. The examiner should write their answers in their own handwriting.) </td> </tr> </table>	ANSWERS OF THE CANDIDATE	ANSWERS OF THE EXAMINER	(This area is reserved for the candidate's answers. The candidate should write their answers in their own handwriting.)	(This area is reserved for the examiner's answers. The examiner should write their answers in their own handwriting.)	
ANSWERS OF THE CANDIDATE	ANSWERS OF THE EXAMINER					
(This area is reserved for the candidate's answers. The candidate should write their answers in their own handwriting.)	(This area is reserved for the examiner's answers. The examiner should write their answers in their own handwriting.)					

CERTIFICATE TO BE SIGNED BY THE CANDIDATE

I hereby certify that I have read and understood the contents of the question paper and the instructions given in the question paper and I have answered the questions in my own handwriting and I have not used any unfair means or aids in the examination.

I declare that I have not used any unfair means or aids in the examination and I have not used any unfair means or aids in the examination.

Signature of the Candidate

CERTIFICATE TO BE SIGNED BY THE EXAMINER

I hereby certify that I have read and understood the contents of the question paper and the instructions given in the question paper and I have answered the questions in my own handwriting and I have not used any unfair means or aids in the examination.

I declare that I have not used any unfair means or aids in the examination and I have not used any unfair means or aids in the examination.

Signature of the Examiner

